



राजस्थान सरकार

प्रगति प्रतिवेदन 2024-25

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम
लिमिटेड



राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड

I. निगम की स्थापना :

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार की वर्ष 2010-11 की बजट घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी एवं सुदृढ बनाने हेतु राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि० की दिनांक 08.12.2010 को स्थापना की गई थी।

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि० का रजिस्ट्रेशन दिनांक 08.12.2010 को कंपनी एक्ट की धारा 617 के अन्तर्गत किया गया है तथा रजिस्ट्रार कम्पनी मामले, राजस्थान जयपुर से दिनांक 27.12.2010 को निगम द्वारा व्यापार प्रारम्भ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया।

II. निगम की अंश पूँजी :

निगम की अधिकृत अंश पूँजी 100 करोड रुपये है। वर्तमान में प्रदत्त अंश पूँजी 50 करोड रुपये है। 50 करोड रुपये के अंशों में से 49.93 करोड रुपये के अंश महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम हैं तथा शेष 7.00 लाख रुपये के अंश निगम के सात सदस्यों के नाम है।

III. निगम का संचालक मण्डल :

क्र.सं.	पद नाम	संचालक मण्डल में पद
1.	शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	अध्यक्ष
2.	शासन सचिव, कृषि विभाग	निदेशक
3.	शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	निदेशक
4.	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम	निदेशक
5.	रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ	निदेशक
6.	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि.	निदेशक
7.	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग	निदेशक



IV. निगम के कार्य एवं उद्देश्य :

- 4.1 निगम भारत सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न का भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठाव कर पूरे प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों पर आपूर्ति करेगा। निगम परिवहन व आपूर्ति हेतु आवश्यक निविदायें एवं ठेके आदि की कार्यवाही सम्पन्न करेगा।
- 4.2 राज्य के उपभोक्ताओं के उपयोग हेतु निगम गैर पी.डी.एस. सामग्री, बड़े निर्माताओं (Manufacturers) से क्रय कर बाजार से सस्ते दामों पर उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध करायेगा।
- 4.3 चूंकि उचित मूल्य की दुकानों पर प्रभावी आपूर्ति एवं व्यवस्था बनाना निगम का दायित्व होगा, अतः निगम तहसील स्तर पर जहाँ केन्द्रीय भण्डारण निगम या राज्य भण्डारण निगम के गोदाम उपलब्ध नहीं है वहाँ राशन सामग्री के भण्डारण हेतु गोदाम आदि किराये पर लेने की व्यवस्था करेगा। लेकिन जहाँ पर राज्य भण्डारण निगम किराये पर गोदाम लेकर किराये पर उपलब्ध कराने की स्थिति में होगा, वहाँ पर निगम भण्डारण हेतु स्वयं गोदाम किराये पर नहीं लेगा।
- 4.4 निगम राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप कार्य करेगा।
- 4.5 बाजार में उपभोक्ता वस्तुओं जैसे दलहन, खाद्य-तेल, चीनी आदि के दाम बढ़ने पर निगम बाजार में हस्तक्षेप कर इन उपभोक्ता वस्तुओं को उपलब्ध कराने का कार्य करेगा।
- 4.6 इसके साथ ही निगम उचित मूल्य की दुकानों पर राशन सामग्री के अतिरिक्त गैर पी.डी.एस. सामग्री जैसे आयोडाइज्ड नमक, चाय, वाशिंग सोप, पिसे हुए मसालें आदि भी उपलब्ध कराता है ताकि आम उपभोक्ताओं को रोजमर्रा की उपभोक्ता वस्तुएं प्रतिस्पर्धी कीमतों पर प्राप्त हो सकें।
- 4.7 निगम राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों के अन्तर्गत अन्य कार्य भी करेगा।

V. निगम के विगत पाँच वर्षों के वित्तीय परिणाम :

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17	वर्ष 2017-18
1.	Profit before interest & Depreciation	944.25	1396.62	1598.07	701.72	449.39
2.	Less: interest	Nil	688.15	638.5	30.27	8.97
3.	Operational Profit/Loss	944.25	708.447	959.57	671.45	440.42
4.	Less: Depreciation	40.71	60.87	17.49	14.63	18.33
5.	Profit/Loss after interest & Depreciation	903.54	647.87	942.08	656.82	422.09
6.	Profit/Loss for appropriation	504.63	515.02	566.35	351.31	247.50

नोट:- वर्ष 2018-19 व अग्रिम वर्षों के अंकक्षित लेखे तैयार नहीं है।

VI. निगम में स्वीकृत पदों की स्थिति :

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग, शासन सचिवालय राजस्थान सरकार, जयपुर के द्वारा दिनांक 24.11.2010 को निगम के त्रिस्तरीय प्रशासनिक ढांचे के लिए पदों एवं सेवाओं के सृजन की स्वीकृति जारी की गई। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग के आदेश दिनांक 24.11.2010, 21.04.2011, 28.06.2011, 24.10.2011, 17.12.2012 एवं 04.06.2013 के द्वारा निगम हेतु स्वीकृत/कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	कार्यालय स्तर	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	रिक्तियों के कारण अस्थाई व्यवस्था के रूप में कार्यरत कार्मिक
1.	निगम कार्यालय (मुख्यालय)	51	15	36	08
2.	जिला कार्यालय	272	89	183	68
3	तहसील स्तर	498	69	429	निगम की तहसील स्तर पर कोई भी ईकाई कार्यरत नहीं है। जिला स्तर पर कार्यरत सतर्कता निरीक्षक (JCO) तहसील स्तर के स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत है।

VII. राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न एवं चीनी के थोक विक्रेता का कार्य:-

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न की आपूर्ति:-

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत भारत सरकार द्वारा प्रतिमाह लगभग 2.32 लाख मैट्रिक टन गेहूं आवंटन किया जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से गेहूं का उठाव कर पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध कराने हेतु प्रतिमाह उचित मूल्य की दुकानों पर आपूर्ति करने का कार्य राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. के जिलों में पदस्थापित प्रबंधक नागरिक आपूर्ति के द्वारा थोक विक्रेता के रूप में किया जा रहा है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वर्ष 2010-11 की बजट घोषणा के अनुरूप निगम का गठन करते हुये भारतीय खाद्य निगम से गेहूं का उठाव कर तथा चीनी मीलों से लेवी चीनी का उठाव कर उचित मूल्य की दुकानों पर आपूर्ति करने का दायित्व निगम को सौंपा गया था।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर के द्वारा दिनांक 11.04.2011 को आदेश जारी कर राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. जयपुर को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले खाद्यान्न/चीनी के उठाव एवं वितरण के लिये सम्पूर्ण राज्य हेतु राज्य स्तरीय प्राधिकृत एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया हुआ था। वर्तमान में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के आदेश दिनांक 09.07.2024 के द्वारा खाद्यान्न उठाव एवं उचित मूल्य दुकानों पर वितरण हेतु परिवहन का कार्य जिला रसद अधिकारियों द्वारा किया जाना है। दिनांक 30.11.2024 तक 11 जिलों में जिला रसद अधिकारियों द्वारा परिवहन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है शेष जिलों में वर्तमान परिवहन अनुबन्ध अवधि तक प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति द्वारा थोक परिवहन का कार्य करवाया जा रहा है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियों का विवरण (01.04.2022 से 31.12.2024)

वर्ष 2022-23 में एनएफएसए योजना के अंतर्गत लगभग 26.05 लाख एम.टी. गेहू की आपूर्ति, पीएमजीकेएबाई योजना के अंतर्गत माह अप्रैल 2022 से दिसम्बर 2022 तक लगभग 18.30 लाख एम.टी. गेहू का उठाव कर आपूर्ति की गई।

वर्ष 2023-24 में एनएफएसए योजना के अंतर्गत माह अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक लगभग 25.75 लाख एम.टी. गेहू का उठाव कर आपूर्ति की जा चुकी है।

वर्ष 2024-25 में एनएफएसए योजना के अंतर्गत माह अप्रैल 2024 से दिसम्बर, 2024 तक लगभग 19.30 लाख एम.टी. गेहू का उठाव कर आपूर्ति की जा चुकी है एवं दिसम्बर, 2024 माह का उठाव प्रक्रियाधीन है।

2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चीनी का वितरण

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि० सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चीनी के वितरण हेतु राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नोडल एजेन्सी (Nodal Agency) है। भारत सरकार की योजनान्तर्गत अनुदानित चीनी का वितरण अन्त्योदय अन्न योजना (AAY) परिवारों को किया जाता है जिसके अन्तर्गत प्रति परिवार/प्रतिमाह एक किलोग्राम चीनी का वितरण उचित मूल्य दुकानदारों के माध्यम से किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के पश्चात निगम द्वारा चीनी का क्रय नहीं किया गया है।

VIII. गैर पीडीएस वस्तुओं का विपणन कार्य :

निगम द्वारा उचित मूल्य दुकानदारों के माध्यम से आम उपभोक्ताओं को दैनिक उपयोग में काम में आने वाली सामग्री को किफायती दर, गुणवत्तापूर्ण एवं उचित वजन में उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से नॉन पीडीएस सामग्री वितरण योजना शुरू की गयी थी। योजनान्तर्गत निगम के माध्यम से वितरित वस्तुओं को आम जन उपभोक्ता बिना राशन कार्ड निर्धारित दर पर उचित मूल्य दुकान से क्रय कर सकते हैं। गैर पीडीएस श्रेणी में बिस्किट (बटर), वॉशिंग सॉप, डिटर्जेंट पाउडर, टॉयलेट सॉप, रिफाइन्ड आयोडाइज्ड नमक, रिफाइन्ड डबल फोर्टिफाइड नमक, मसाले, चाय वस्तुएँ शामिल की गयी थी। वर्तमान में किसी भी नॉन पीडीएस सामग्री की आपूर्ति नहीं की जा रही है।

IX. पॉस मशीन के रखरखाव का कार्य

राज्य सरकार के निर्देशानुसार निगम को पॉस मशीन के सालाना रखरखाव का कार्य भी आवंटित किया गया है। आदेशों की अनुपालना में 2 फर्मों को 26,737 पॉस मशीनों के रखरखाव का कार्य 5 वर्ष के लिए दिया गया है। मैसर्स कॉम्पेक्ट कम्प्यूटर, जयपुर को 16,042 पॉस मशीनों के रखरखाव का आदेश दिया गया है, जिसकी राशि 79,66,56,629/- ₹0 है। मैसर्स बालाजी इन्फोल्यूब को 10,695 पॉस मशीनों के रखरखाव का कार्य दिया गया है, जिसकी राशि 53,11,20,973/- ₹0 है।

दोनों फर्मों द्वारा पहले से खराब हुई मशीनों को बदलते हुए प्रथम चार वर्षों में संपूर्ण मशीनें रिप्लेस की जानी है। दोनों फर्मों द्वारा माह सितंबर 2021 से रखरखाव का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

फर्मों द्वारा रिपेयर व रिप्लेस की गई मशीनों का विवरण निम्नानुसार है:-

- कुल मशीनें – 26,737
- रिपेयर की गई मशीनें – 75,505
- दिनांक 15.12.2024 तक प्रतिस्थापित की गई कुल नई पॉस मशीनें – 25,611



X. राशन की दुकानों हेतु Electronic Weight Machine and IRIS Machine का क्रय

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के बिन्दु संख्या 63 (iv) के अनुसार “ राशन की दुकानों को Digital Weight Briges उपलब्ध कराकर उन्हें POS (Point Of Sale) मशीनों से जोड़ा जायेगा। इससे NFSA लाभार्थियों को उनके हक का पूरा राशन मिल सकेगा, की क्रियान्विति हेतु वित्त विभाग की आईडी संख्या 102301685 दिनांक 18.09.2023 के क्रम में पॉस मशीनों की Electronic Weight Machine and IRIS Machine से संयोजित किये जाने के लिए दोनों मशीनों के क्रय हेतु रुपये 63.00 करोड की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त आदेशों की पालना में निगम द्वारा निविदा की प्रक्रिया पूर्ण करके दो

फर्मों (मैसर्स बालाजी इन्फो ल्यूब, जोधपुर एवं मैसर्स कॉम्पेक्ट कम्प्यूटर एंड पेरिफेरल्स, जयपुर) को कार्यादेश दिनांक 05.10.2023 को जारी किया गया। उक्त कार्यादेश के अनुसार मैसर्स बालाजी इन्फोल्यूब, जोधपुर को 16042 Electronic Weight Machine एवं 14542 IRIS Machine के क्रय एवं रखरखाव का कार्य दिया गया है, जिसकी राशि 37,68,12,000/- ₹0 है। एवं मैसर्स कॉम्पेक्ट कम्प्यूटर एंड पेरिफेरल्स, जयपुर को 10695 Electronic Weight Machine एवं 9695 IRIS Machine के क्रय एवं रखरखाव का कार्य दिया गया है, जिसकी राशि 25,12,08,000/- ₹0 है।

वर्तमान में ई-वेइंग मशीन व आयरिस स्केनर प्रोजेक्ट हेतु प्रगति –

समस्त सक्रिय उचित मूल्य दुकानों पर ई-वेइंग मशीन व आयरिस स्केनर का पॉस मशीनों से संयोजित कर स्थापित कर दिया गया है।

ई-वेइंग मशीन सम्बंधित प्राप्त 2369 शिकायतों में से 2348 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। आयरिस स्केनर मशीन से संबंधित प्राप्त 419 शिकायतों में से 412 का निस्तारण किया जा चुका है।

